<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 38/2023 (उदयपुर डिक्री)</u>

गोता पिता स्वर्गीय भगा जी डांगी, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. मृतक खेमा के बजाय :–

1/1. देवीलाल पिता स्वर्गीय खेमा जी डांगी, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

1/2. भीमराज पिता स्वर्गीय खेमा जी डांगी, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

1/3. श्रीमती गंगा पुत्री स्वर्गीय खेमा जी डांगी, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

1/4. श्रीमती शमु पुत्री स्वर्गीय खेमा जी डांगी, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

1/5. श्रीमती रूपी पुत्री स्वर्गीय खेमा जी डांगी, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

1/6. श्रीमती हीर पत्नी स्वर्गीय खेमा जी डांगी, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान

काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व

डिक्री उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर दि0

12–04–2023 प्रकरण संख्या 163/07

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री चन्द्र प्रकाश पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 21–05–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट मृतक खेमा ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी एक जी खानदान के होकर मूल पुरूष हरजी थे। हरजी के दो पुत्र देवा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

मोडा हुए। देवा का पुत्र भगा व भगा का पुत्र प्रतिवादी गोता है, जबकि मोडा का पुत्र जगन्नाथ व जगन्नाथ का पुत्र वादी खेमा है। मूल पुरूष हरजी के फोत होने पर कर्ताखानदान होने से विरासत से समस्त भूमियां बड़े पुत्र देवा के नाम अंकित हो गयी तथा देवा के फोत होने पर उसके पुत्र भगा के नाम तथा भगा के फोत होने पर विरासत से प्रतिवादी गोता के नाम अंकित हो गयी, जबकि वादी का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। वाद पत्र की कलम संख्या 3 में अंकित खाता संख्या 218 की आराजियात कुल किता 21 रकबा 3.53 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है, परन्तु भूमियां अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज हैं, जबकि 1/3 में से आधा हिस्सा वादी का भी है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 4 में अंकित खाता संख्या 220 की आराजियात कुल किता 48 रकबा 6.44 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है, परन्तु भूमियां अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज हैं, जबकि 1/3 में से आधा हिस्सा वादी का भी है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 5 में अंकित खाता संख्या 170 की आराजियात कुल किता 9 रकबा 10.46 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है, परन्तु भूमियां अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज हैं, जबकि 1/6 में से आधा हिस्सा वादी का भी है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 6 में अंकित खाता संख्या 172 की आराजियात कुल किता 12 रकबा 2.66 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा है, परन्तु भूमियां अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज हैं, जबकि 1/15 में से आधा हिस्सा वादी का भी है। उक्त आराजियात प्रतिवादी की आवंटन शुदा भूमि नहीं होकर पैत्रृक भूमियां है तथा प्रतिवादी के साथ—साथ वादी का भी कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अतः वादी पत्र की कलम संख्या 3 से 6 में अंकित प्रतिवादी के हिस्से में आधे हिस्से हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैत्रृक भूमि गांव गींगला में नहीं है तथा प्रतिवादी के खाते की भूमियों में वादी का आधा हिस्सा नहीं है। वादी मूल रूप से गांव उथरदा का निवासी होकर उसके पिता का नाम पूंजा था, जिसके खाते की भूमियां वादी ने गमेरचन्द पिता नाथूलाल महाजन को [illegible] 25—30 वर्ष पूर्व विक्रय कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

दी, उसके बाद वादी गांव उथरदा छोड़कर गींगला में बस गया। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 6 तनकियां कायम की तथा दिनांक 12–04–2023 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–05–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय बिना किसी मौखिक साक्ष्य के आधार पर दिया है, जो गलत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया गया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 जो मुझ अपीलान्ट के जिम्मे थी, जिसे दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों साबित कराने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। इसी प्रकार अन्य तनकियों का भी अधिनस्थ न्यायालय ने सही विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का गलत विवेचन कर उनका वाद डिक्री किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 6 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विस्तृत विवेचन करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

हुए अपने निर्णय के निष्कर्ष में यह माना है कि ''इन्तकाल नंबर 25 फैसल दिनांक 29–10–1986 जो प्रदर्श पी 10 है, इस इन्तकाल में मेवाड़ राज्य के समय की पैत्रृक कृषि भूमि मूल पुरूष पदमा डांगी गौत्र काई (धनजीयावत) निवासी गीगला के 3 बेटों स्वर्गीय हरजी, स्वर्गीय वागा व केवा तीनों के वारिसों से मेवाड़ राज्य की प्रथम पैमाईश में जो भूमि हरजी के पोते स्वर्गीय जगन्नाथ पिता मोड़ा डांगी के अकेले के खाता नंबर 95 जो प्रदर्श पी 13 है, खाता संख्या 33 जो प्रदर्श पी 14 है, खाता संख्या 34 जो प्रदर्श पी 15 है, खाता संख्या 35 जो प्रदर्श पी 16 है, खाता संख्या 36 जो प्रदर्श पी 17 है, खाता संख्या 24 जो प्रदर्श पी 18 है, खाता संख्या 25 जो प्रदर्श पी 19 है, आदि इन तमाम खातों की भूमि में जो हिस्सा जगन्नाथ पिता मोडा डांगी के नाम दर्ज था उसका 1/3 हिस्सा वागा पिता पदमा का था उसे वागा के वारिसों के खाते कराया, 1/3 हिस्सा केवा का था जो 1/3 हिस्सा केवा के वारिसों के खाते करवाया एवं 1/3 हिस्सा हरजी के वारिस पोता जगन्नाथ के नाम रहा, इसका 1/2 आधा हरजी के बेटे देवा का था जो देवा के निधन हो जाने से एवं देवा के पुत्र भगा का निधन हो जाने से यह हिस्सा वादी के पिता ने गोता के नाम करवाया है। इस प्रकार जो हिस्सा हरजी के पोते जगन्नाथ के खाते मेवाड़ राज्य में दर्ज हुआ था उसमें से जगन्नाथ ने अपने चचेरे भाई भगा के पुत्र प्रतिवादी गोता के खाते करवा दिया परन्तु वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की क्रम संख्या 3, 4, 5 व 6 में वर्णित है, जो भूमि मेवाड़ राज्य में स्वर्गीय हरजी का हिस्सा मेवाड़ राज्य की प्रथम पैमाईश का खाता नंबर 203/2 की भूमि जो प्रदर्श डी 4, प्रदर्श डी 5, प्रदर्श डी 6 व प्रदर्श डी 7 की भूमि जो भगा वल्द देवा के खाते थी, इसका 1/2 आधा हिस्सा वादी के पिता जगन्नाथ का था। वह प्रतिवादी ने वादी के पिता जगन्नाथ के निधन के बाद वादी का हिस्सा वादी के खाते नहीं कराया एवं प्रतिवादी ने वादी को जगन्नाथ का पुत्र होने से मना कर दिया। यह प्रतिवादी का आचरण सही प्रतीत नहीं होता है, जब जगन्नाथ के खाते की भूमि प्रतिवादी ने अपने खाते करायी तब जगन्नाथ उसके खानदान का था एवं जब जगन्नाथ मर गया एवं उसके पुत्र वादी ने प्रतिवादी से वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा अपने खाते कराने की मांग की तो प्रतिवादी ने जो भूमि प्रतिवादी के खाते वादग्रस्त है, उसमें से हिस्सा वादी के खाते कराने से मना ही नहीं किया उल्टा वादी को जगन्नाथ का पुत्र होना मानने से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

इन्कार कर दिया, परन्तु वादी के पास स्वर्गीय जगन्नाथ का पुत्र होने के पर्याप्त दस्तावेजी सबूत सजरा खानदान व जगन्नाथ के निधन के बाद जगन्नाथ के खाते की भूमि विरासत से वादी के खाते आई एवं राशन कार्ड, पहचान पत्र, निर्वाचन नामावली, वादी के कुटुम्बी जो मूल पुरूष पदमा के खानदान के होकर वादी की तरफ से शहादत में पेश हुए, उन तमाम साक्ष्य को देखते हुए वादी अपना वाद साबित कराने में सफल रहा है।''

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उपरोक्त आधारों पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर सही विवेचन नहीं किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों तथा न्यायिक नजीरों का अवलोकन करते हुए तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 12–04–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

गोता पिता स्व. भगा जी डांगी, निवासी गींगला, तह0 सलुम्बर, जिला उदयपुर बनाम **मृतक खेमा के बजाय देवीलाल पिता स्व. खेमा डांगी, निवासी गींगला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**38 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सलुम्बर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....12**.....माह.....**04**.....**2023**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**05**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित**....मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री ओंकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 12–04–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**05**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:49 IST
Reason: SelfAttested